भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

23.07.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2036

प्रयुक्त ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण

2036. श्री एम.आई. शनवास:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से प्रयुक्त ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण और उपयोग करने के संबंध में भारत के अधिकार की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार ऐसी किसी सुविधा का निर्माण कर रही है जिसके अंतर्गत 14 अन्य देशों से प्रयुक्त ईंधन लेकर उसमें से महत्वपूर्ण तत्व निकालकर उसका फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अमरीका ने भारत-अमरीका परमाणु डील को औपचारिक रूप देते समय प्रयुक्त ईंधन के अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने संबंधी भारत के अधिकार के संबंध में आपत्तियां उठाई थीं;

(घ) यदि हाँ, तो इस मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या भारत ने प्रयुक्त ईंधन के उपयोग तथा इसके पुनर्प्रसंस्करण के संबंध में 14 राष्ट्रों के साथ अलग से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) भारत को कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र से निकले भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधित करने और उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, रूस, कज़ाखिस्तान और कनाडा के साथ हस्ताक्षर किए अंतर्सरकारी करारों के अनुसार, भारत को, इन देशों से प्राप्त की गई नाभिकीय सामग्री से प्राप्त किए गए भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधित करने की अनुमति प्राप्त है।

****